



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०:

/12-1 (2) दिनांक 11 / 10 / 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,  
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड  
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत अन्तर्गत जामणीखाल से चौडियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.785 हे० का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/30646/2017

सन्दर्भ :- ऑनलाईन इंगित कमियों दिनांक 25-07-2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से दिनांक 25-07-2018 से उल्लेखित कमियों का बिन्दुवार आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्रांक संख्या-2159/33सी० दिनांक 25-09-2018 से प्रेषित की गयी है जो जो निम्नत्व है।


क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	Justification for locating the project in forest land is not C/S by DFO.	बिन्दु संख्या-01 अनुपालन में प्रस्तावक द्वारा वन भूमि का औचित्य पूर्ण मांग पत्र भाग-01 के पैरा D( i) में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी मूल प्रति मय संलग्नों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-01)।
2	Employment details seem incorrect.	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा भाग-01 के पैरा E-(ii) में मानव दिवसों की संख्या संशोधित कर अपलोड कर दी गयी है।
3	Date and area is not mentioned in FRA certificate.	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 में दिनांक एवं क्षेत्रफल अंकित कर प्रमाण-पत्र की छाया प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। जिसकी प्रति आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु मय संलग्नों के प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक 02)
4	Following documents have not been found uploaded in web portel- I- Muck Disposal plan II- Work not start certificate III- CA site suitability certificate IV- Geologist report and other standard undertakings.	बिन्दु संख्या-04 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भाग-01 के एडिशनल कॉलम के क्रम संख्या-10,11,12 एवं 13 में मक डिस्पोजल प्लान, कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण-पत्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र एवं भूमि वैज्ञानिक रिपोर्ट अपलोड कर दिया गया है।
5	Area mentioned in CA scheme is 1.785 ha instead of double the area proposed for diversion.	बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा भाग-01 के पैरा L iv b में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल 3.57 हे० संशोधित कर दिया गया है। पूर्व में 1.785 हे० त्रुटिवश अंकित किया गया था।

mentioned.

भाग-01 के एडिशनल कॉलम के कम संख्या- 14 में प्रस्तावित परियोजना से वन भूमि की दूरी का प्रमाण-पत्र अपलोड कर दिया गया है।


संलग्न-यथोपरि :-

भवदीय

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 967 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर को उनके पत्रांक संख्या-2159/33सी दिनांक 25-09-2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।